कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1997-98

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

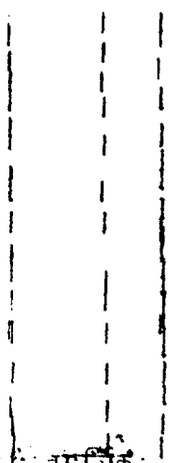

वार्षिक
विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
1997-98

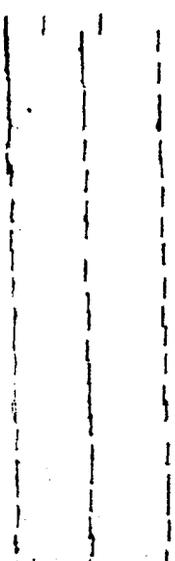

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

NIEPA DC
D10176

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-10176
DOC. No .... 30-06-98.
Date ....

: : प्राक्कथन : :

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का वर्ष 1997-98 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में विभाग की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विभाग की उपलब्धियों को बतलाया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से जो राज्य में शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है । ऐसी समस्त योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गई है ।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों एवं अन्य सम्बन्धितों के लिये उपयोगी होगा । इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

(राजेन्द्र भागवत)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक 2, अप्रेल, 1999

अनुक्रमणिका

कहाँ क्या है :	पृष्ठ संख्या
1. सामान्य परिचय	01
2. प्रशासनिक स्वरूप	01 से 03
3. शैक्षिक प्रगति	03 से 05
4. बालिका शिक्षा	05 से 06
5. केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	07 से 09
6. शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाऐं	10 से 12
7. शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृत्तियां	12से 14
8. आयोजना एवं प्रशासन	14 से 18
8.1 योजना एवं लेखा	14
8.2 पेंशन स्थिरीकरण	15
8.3 न्यायिक प्रकरण	15
8.4 विभागीय जांच प्रकरण	15
8.5 रिक्त पदों की पूर्ति	15
8.6 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	16
8.7 हितकारी निधि	16
8.8 छात्रवृत्तियां	16
8.9 अनुदानित संस्थाऐं	17
8.10 शिक्षक दिवस समारोह	17
8.11 शिक्षक सदन	18
9. पुस्तकालय § समाज शिक्षा	18 से 19
10. शिक्षक प्रशिक्षण	19
11. शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं	20
12. विभागीय प्रकाशन	20
13. शिक्षक संघों की भूमिका	20 से 21
14. विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण	21
15. शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तारणियां	21 से 24

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 1997-98

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई । शिक्षा की सुव्यवस्थित संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर की स्थापना की गई । शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथक्कीकरण किया गया । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28. नवम्बर 1997 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग-अलग गठन कर दिया गया । प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पृथक विभागाध्यक्ष आई०ए०एस० बनाये गये एवं 01 जनवरी 1998 से निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन पृथक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर मुख्यालय पर कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के आधीन राज्य की समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के आधीन राज्य की समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण एवं प्रशासन है ।

राजस्थान राज्य में आलोच्य वर्ष में कुल 32 जिले है जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 4 40 करोड़ है । इसमें 2.304 करोड़ पुरूष एवं 2.096 करोड़ महिलाएँ है । 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0.760 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.547 करोड़ है । राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्गकिलोमीटर है ।

1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 38.55 है, जिसमें पुरूषों का 54.99 एवं महिलाऐं 20.44 प्रतिशत है । 1991 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशतकुल व्यक्ति 30.37 प्रतिशत है जिसमें 47.64 प्रतिशत पुरूष एवं 11.59 प्रतिशत महिलाऐं है । राजस्थान के शहरी क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 65.33% जिसमें पुरूष 7[illegible].50% एवं महिलऐं 50.24% है । राज्य में साक्षरता प्रतिशत 1951 से 1991 तक 4 गुणा से अधिक बढ़ा है ।

(2) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक स्वरूप-

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक पद पर वर्ष 97-98 में डॉ० बी० [illegible] आई०ए०एस० कार्यरत रहे है । श्री बी०एल०जैमन आई०ए०एस० दिनांक 5 सितम्बर 98 को निदेशक पद का कार्यभार सम्भाला एवं कार्यरत है ।

1- निदेशक - आई०ए०एस०
2- मुख्य लेखाधिकारी (बजट)
3- अपर निदेशक - (व्यावसायिक शिक्षा)
4- अतिरिक्त निदेशक - आर०ए०एस० (सामान्य प्रशासन)
5- संयुक्त निदेशक - 2 (कार्मिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण)
6- उप निदेशक - - (प्रशासन, योजना, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा, खेलकूद)
7- उप निदेशक (सांख्यिकी)
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी
9- वरिष्ठ सम्पादक (जिला शिक्षा अधिकारी)
10- जिला शिक्षा अधिकारी (अल्प भाषाई)
11- सहायक निदेशक -7
12- लेखाधिकारी -2
13- स्टॉफ ऑफिसर
14- सहायक विधि परामर्शी
15- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी - 9
16- सम्पादक विभागीय प्रकाशन
17- उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा०शि०)
18- जनसम्पर्क अधिकारी
19- सांख्यिकी अधिकारी
20- वरिष्ठ प्रकाशन सहायक
21- शिक्षा प्रसार अधिकारी
22- व्याख्याता -2
23- प्रशिक्षक - 2
24- सहायक लेखाधिकारी -7
25- मुख्य विधि सहायक
26- प्रशासनिक अधिकारी -2

(II) निदेशालय समाज शिक्षा -

1- उप निदेशक
2- सहायक निदेशक
3- सहायक शैक्षिक अधिकारी

(III) पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं :-

1- पंजीयक

(ख) मण्डल स्तर

माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रशासन को प्रभावी रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मण्डल कार्यालयों का गठन किया गया है । 1. बीकानेर, (चूरू) 2. जोधपुर 3. जयपुर 4. अजमेर 5. उदयपुर 6. कोटा । जिनके अधीनस्थ समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बालक, बालिका शिक्षण संस्थाएँ है ।

(ग) जिला स्तरीय प्रशासन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन मण्डल स्तर पर उप निदेशक (माध्यमिक) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) है । राज्य में 40 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय गठित किये गये है । जिन 8 जिलों में माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है उन जिलों में दो-दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय है । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सी०माध्यमिक स्तर की बालक/बालिका विद्यालयों का कार्य एवं प्रशासन की देख रेख करते है । जिलेवार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय निम्नवत है :-
अजमेर-2, भीलवाड़ा-2, नागौर-2, टौंक-1, बीकानेर-1, चूरू -1, गंगानगर-1, हनुमानगढ़-1, झुंझुनूं -1, जयपुर-2, अलवर-2, दौसा-1, भरतपुर-2, सीकर-2, धौलपुर-1, जोधपुर-1, पाली-1, सिरोही-1, जालौर -1, बाड़मेर-1, जैसलमेर-1, कोटा-1, बून्दी-1, बारां-1, झालावाड़-1, करौली-1, सवाईमाधोपुर-1, उदयपुर-2, बांसवाड़ा-1, चित्तौड़-1, डूंगरपुर -1, राजसमंद -1
कुल- 40 कार्यालय है ।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का मुख्य कार्य जिले का अधीन समस्त माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना, उनसे सूचनाएँ एकत्र कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है । शैक्षिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही है । इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है ।

(3) शैक्षिक प्रगति - माध्यमिक उच्च माध्यमिक

राजस्थान में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अथक सुनियोजित प्रयासों के परिणामों से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है । राज्य की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी बढ़कर 1991 में 38.55 प्रतिशत हो गई है ; जबकि भारतवर्ष की साक्षरता प्रतिशत 52.11 है 1955 की तुलना

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 15 गुणा और सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 57 गुणा वृद्धि हुई है ।

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं विस्तार किया है । राज्य में वर्ष 97-98 में सन्दर्भ तिथि 30.9.1997 के आधार पर 3749 माध्यमिक विद्यालय तथा 1598 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है । जिसमेंसे क्रमश: 3302 छात्र व 447 छात्रा माध्यमिक विद्यालय एवं 1268 छात्र व 330 छात्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय है । प्रबन्धानुसार 3014 राजकीय 75 सहायता प्राप्त 660 असहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय तथा इसी प्रकार 1221 राजकीय 200 सहायता प्राप्त, 177 असहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है । विद्यालयों में कुल अध्यापक 48526 है जिनमें 35734 पुरुष एवं 12792 महिलाऐं है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 42317 कार्यरत है । जिनमेंसे 29400 पुरुष एवं 12817 महिलाऐं है ।

माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1207342 में 846921 छात्र एवं 360121 छात्रा है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1160702 में 810269 छात्र एवं 350433 छात्रा है ।

आलोच्य वर्ष में माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्तर (कक्षा 9 से 12) नामांकन उपलब्धि 11.497 रहा । जिसमेंसे 8.489 लाख छात्र एवं 3.008 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का नामांकन कुल 1.333 लाख रहा जिनमे 1.097 लाख छात्र एवं 0.236 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जनजाति का कुल नामांकन 0.900 लाख है जिनमें 0.769 लाख छात्र एवं 0.131 लाख छात्राऐं है ।

माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु वर्ष 97-98 में सरकारी एवं गैरसरकारी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नवत विद्यालय प्रारंभानुसार क्रमोन्नत किये गये :-

क्र. स.	स्तर	प्रबन्ध	क्रमोन्नत विद्यालय		
			छात्र	छात्रा	योग
1.	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	राजकीय	214	20	234
2.	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	अराजकीय	121	04	125
	माध्यमिक योग		335	24	359
3.	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	राजकीय	115	22	137

5. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय	असरकारी	19	6	25
उच्च माध्यमिक योग		134	28	162
माध्यमिक + उच्च माध्यमिक योग		469	52	521

(4) बालिका शिक्षा

राज्य में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनके फलस्वरूप बालिका शिक्षा को अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । सन् 1951 में राज्य का महिला साक्षरता प्रतिशत 3 था जो 1991 को जनगणना के अनुसार बढ़कर 20.44 प्रतिशत हो गया है । ग्रामीण क्षेत्रों का महिला साक्षरता प्रतिशत 11.59 है जबकि शहरी क्षेत्र का महिला साक्षरता प्रतिशत 50.24 है ।

राजस्थान में 30 सितम्बर 1997 को सन्दर्भ तिथि को पृथक बालिका शिक्षा के कुल 447 माध्यमिक विद्यालय है जिनमें राजकीय 371, सहायता प्राप्त 30 एवं असहायता प्राप्त 46 है । इसी प्रकार सन्दर्भ अवधि तक 330 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिनमेसे 240 राजकीय, 67 सहायता प्राप्त 23 असहायता प्राप्त है । माध्यमिक विद्यालयों में कुल 12792 महिला अध्यापक है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल महिला अध्यापक 12917 है । राज्य में वर्ष 97-98 में बालिका नामांकन स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल 300811 रहा जिनमेसे अनुसूचित जाति की छात्राओं का नामांकन 23599 एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का नामांकन 13043 है ।

बालिका शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 97-98 में 24 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया एवं 28 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ।

राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवापूर्व प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत सीटों का 40 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है । 7 महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए संचालित है ।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री हेतु कुल 5550 सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 15 महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1870 सीटों पर केवल महिलाओं को प्रवेश दिया जाकर बी.एड. प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के 6 बालिका छात्रावासों का निर्माण करवाया है।

प्रतिभावान बालिकाएँ जो आर्थिक कारणों से अध्ययन करने में असमर्थ रहती है, के अध्ययन को निरंतर रखने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य में स्थापित बालिका शिक्षा फाउन्डेशन की ओर से दत्तक जानकी योजना प्रारम्भ की गई है। कक्षा 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालिकानुसार राशि विभाग द्वारा फाउन्डेशन में जमा करायी जाती है जिसका वितरण प्रतिभावान बालिकाओं को किया जाता है।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की कक्षा दस की परीक्षा उत्तीर्ण की है व मेरिट में प्रथम तीन स्थान पर रही एवं जिनके अभिभावक आयकर नहीं देते हैं उन्हें मेन्टीनेंस अवार्ड छात्रवृत्ति बालिका शिक्षा फाउन्डेशन के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। यह योजना प्रारम्भ में 10 प्रतिशत से न्यून ग्रामीण साक्षरता वाले 15 जिलों में प्रारम्भ की जायेगी, जिनमें प्रत्येक जिले से लगभग 20 बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना में प्रति बालिका 10 माह हेतु 1000 रु. दिये जाने का प्रावधान है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की कक्षा 10 में कुल 75% व अधिक प्राप्तांक वाली समस्त छात्राओं को दो वर्ष तक कक्षा 11-12 में नियमित अध्ययन हेतु 1000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 97-98 से आरंभ की गई जिसके अन्तर्गत राज्य की 2193 छात्राओं को कुल 21.93 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया है।

.. ..

(5) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(I) ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों का जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन के पश्चात चयन किया जाता है। इस योजना पर 100 % व्यय केन्द्र सरकार के बजट से किया जाता है। वर्ष 97–98 में इस योजना पर 0.56 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। 48 छात्र/छात्राओं का राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति हेतु चयन हुआ। राष्ट्रीय प्रतिभावान खोज [illegible] प्रश्नकोष का निर्माण किया गया।

(II) अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन योजना –

राज्य में अंग्रेजी शिक्षण के उन्नयन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा युनीसेफ से सहायता से यह योजना चलाई जाती है। इस योजना हेतु 10 कार्यक्रम किये गये जिनमें 201 व्यक्ति लाभान्वित हुए। यह योजना 100 % केन्द्र बजट से चलाई जाती है। वर्ष 97–98 में इस योजना पर कुल व्यय 1.30 लाख रु. किया गया।

(III) संस्कृत छात्रवृत्ति —

संस्कृत विषय के अध्ययन के प्रति छात्रों का रुझान बढाने हेतु कक्षा 9–12 तक के छात्रों को संस्कृत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रों का चयन वरीयता के आधार पर किया जाता है। इस योजना पर शतप्रतिशत बजट राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 97–98 में इस योजना पर 0.72 लाख रु. की राशि व्यय की गई है।

(IV) व्यावसायिक शिक्षा —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थान राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यावसायिक शिक्षा 1987–88 से 10 जमा दो स्तर पर प्रारम्भ की गई। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाकर मानव शक्ति का उपयोग मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

वर्तमान में 16 पाठ्यक्रमों के साथ 156 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना चल रही है। (लड़कों के 123 तथा 33 लड़कियों के विद्यालय)

व्यावसायिक शिक्षा में वर्ष 97–98 में कुल नामांकन 16343 रहा जिसमें 11820 बालक एवं 4523 बालिकाएँ हैं। कक्षा 11 में कुल 7349 छात्र/छात्रा

एवं कक्षा 12 में 8494 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है ।

राज्य में वर्ष 94-95 में 15 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई है । प्रायोगिक रूप से प्राथमिक चरण में यह योजना उन्हीं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गई है । जहां जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पहले से चल रही है । पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित 7 विषयों मेंसे 4 विषयों की सुविधा उक्त विद्यालयों में उपलब्ध है ।

व्यावसायिक शिक्षा पर वर्ष 97-98 में 355.69 लाख रु का प्रावधान किया गया जिसमेंसे वास्तविक व्यय 355.30 लाख रुपये हुआ । पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 0.54 लाख रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 1.20 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया ।

(V) आई०ए०एस०ई०/सी.टी.ई.

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत चार उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थाओं में से राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर तथा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर । दोनों राजकीय एवं दो गैर राजकीय विद्याभवन उच्च अध्ययन संस्थान, उदयपुर एवं गांधी विद्यामन्दिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान सरदारशहर (चूरू) संचालित है । 6 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी.ई.) क्रमशः जोधपुर, डबोक, डूण्डा, बग्गड़, संगरिया, भीलवाड़ा संचालित है । इस योजना के तहत वर्ष 97-98 में वित्तीय प्रावधान 250.23 लाख रुपये राशि का किया गया एवं वास्तविक व्यय 163.84 लाख रुपये हुआ ।

(VI) अंग्रेजी हेतु जिला केन्द्र

अंग्रेजी भाषा का सुदृढ़ीकरण, विकास हेतु जिला केन्द्र योजना शतप्रतिशत केन्द्रीय बजट से संचालित होती है । इस योजना पर वर्ष 97-98 में 4.51 लाख रुपये व्यय के प्रावधान के विरूद्ध 4.05 लाख रुपये वास्तविक व्यय किया गया ।

(VII) क्लास प्रोजेक्ट योजना

कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत क्लास प्रोजेक्ट नामक योजना वर्ष 94-95 में प्रारम्भ की गयी । इस हेतु 135 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों का चयन कर क्लास प्रोजेक्ट योजना प्रारम्भ की गई जिसमें प्रति सीनियर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम तक -

... में कुल 255 रा. मा. वि. में क्लास प्रोजेक्ट योजना शतप्रतिशत केन्द्र ... की जा रही है। 100 पुराने विद्यालयों में बी.बी.सी. कम्प्यूटर का ... शुरू करवाया गया है। वर्ष 97-98 में क्लास प्रोजेक्ट योजना पर 137.50 लाख रु व्यय करने का प्रावधान रखा गया एवं वास्तविक व्यय 90.06 लाख रुपये किया गया।

(VIII) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रतिभा विकास योजना -

यह योजना शतप्रतिशत भारत सरकार की सहायता के अन्तर्गत वर्ष 87-88 से चालू है। उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एवं सायंकालीन विशेष कक्षाएँ लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना राज्य के 3 विद्यालयों में संचालित है। इस योजना के तहत वर्ष 97-98 में 10.76 लाख रुपये प्रावधान के विरूद्ध 8.55 लाख रुपये वास्तविक व्यय किया गया।

(IX) विज्ञान शिक्षण सुधार योजना

वैज्ञानिक अभिवृद्धि को बढ़ावा देने व विज्ञान के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से राज्य में वर्ष 87-88 में यह योजना चालू की गई। यह योजना 27 जिलों में पांच चरणों मे लागू की गई। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय विज्ञान मेला एवं सेमीनार भी लगाये जाते है। 30 वां राज्य स्तरीय 5 दिवसीय विज्ञान मेला बी. एल. उ. मा. वि. ... जिला ... में आयोजित किया गया। उक्त योजना के तहत वर्ष 97-98 में 2.04 लाख रुपये व्यय प्रावधान रखा गया।

(X) पूर्व मैट्रिक अस्वच्छ कार्य छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/जनजाति /पिछड़ा वर्ग एवं अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 17.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। यह योजना पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार एवं पचास प्रतिशत राज्य सरकार के बजट व्यय से चलाई जाती है।

वर्ष 97-98 में माध्यमिक शिक्षा की समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु मूल प्रावधान 712.56 लाख संशोधित प्रावधान 715.16 लाख एवं वास्तविक व्यय 623.32 लाख रुपये व्यय किया गया।

......10......

(6) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाऐं =

1. जवाहर नवोदय विद्यालय-

नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा रहे है । राज्य के 32 जिलों मेंसे 29 जिलों में इन विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है । इन विद्यालयों का नियन्त्रण केन्द्र विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय) दुर्गापुरा जयपुर द्वारा किया जाता है । नवोदय विद्यालय में सम्बन्धित जिले के छात्र-छात्राओं का चयन उपरान्त कक्षा 6 में अधिकतम 80 विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाता है ।

2. सत्रांक योजना - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने कक्षा 10 व 12 के लिए सत्र 1995-96 से सत्रांक योजना लागू की गई । इस योजना के तहत उक्त कक्षाओं के छात्रों को अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंक बोर्ड की परीक्षा में शामिल किये जाते है । उक्त योजना को वर्ष 97-98 में और अधिक प्रभावी बनाया गया जिससे बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम प्रतिशत में वृद्धि हुई है ।

3. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रोत्साहन योजना - राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परिणामों में उत्कृष्टता, प्रतियोगिता और गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा सत्र 1996-97 में राजकीय विद्यालय सम्मान योजना प्रारम्भ की गई । जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले एक-एक राजकीय माध्यमिक/उ0माध्यमिक विद्यालय को 25-25 हजार रूपये पुरूस्कार दिया जाता है । इसी प्रकार राज्य स्तर पर सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यालय को 50-50 हजार रूपये पुरूस्कार स्वरूप दिये जाते है । सत्र 97-98 में इस योजना हेतु 17.50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया । दिनांक 12 जनवरी 98 को जयपुर के रविन्द्र मंच पर आयोजित द्वितीय विद्यालय सम्मान समारोह में 65 विद्यालयों का सम्मान उनके संस्था प्रधानों के दिया गया ।

4. प्रार्थना सभा- प्रार्थना सभा हेतु विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये जिनके अनुसार प्रार्थना सभा के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया ।

.....11.....

उस अवधि में अन्देनातरस् ,प्रार्थना, देशभक्ति गीत, प्रतिज्ञा एवं राष्ट्रगान को विशेष महत्व दिया गया ।

5. विद्यालय निरीक्षण

विद्यालयों के सुसंचालन एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु विद्यालयों का सतत मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन आवश्यक है । इस हेतु विभाग द्वारा सत्र के आरम्भ से ही सघन निरीक्षण के प्रयास किये गए जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । सत्र 97-98 में जिला शिक्षा अधिकारी [illegible] व मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा 2568 विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है ।

6. भामाशाह सम्मान योजना

वर्ष 97-98 में भामाशाह योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के भामाशाह दानदाताओं को सम्मानित किया गया । इस कार्यक्रम हेतु 3.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया । 98 भामाशाहों व [illegible] प्रेरकों को सम्मानित किया गया ।

7. सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना –

यह योजना वर्ष 96-97 से लागू की गई । इस योजनान्तर्गत 200 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इस योजना में स्थानीय समुदाय द्वारा मरम्मत कार्य की लागत का 50 प्रतिशत नकद या निर्माण सामग्री के रूप में उपलब्ध कराने पर शेष विभाग द्वारा योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से माध्यमिक विद्यालय- अधिकतम स्वीकृत 3.00 लाख रुपये, उच्च माध्यमिक विद्यालय अधिकतम स्वीकृत राशि 4.00 लाख रुपये किये गये जिनका 50 प्रतिशत जनसहयोग माध्यमिक विद्यालय 1.50 लाख, उच्च माध्यमिक 2.00 लाख है । जनसहयोग की 50 प्रतिशत नकद राशि का निर्माण सामग्री के रूप में सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जमा [illegible] राशि स्वीकृत [illegible] जा सकती है ।

8. बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन

इस योजना अन्तर्गत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये अगस्त 97 से दिसम्बर 97 तक विशेष शिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई । इसके साथ-साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्र-छात्राओं के लिये मध्यावधि अवकाश के समय 15 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाये गये ।

9. गार्गी पुरस्कार योजना—

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाली 2193 छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- रुपये की दर से 21.93 लाख रुपये गार्गी पुरस्कार से 1 फरवरी 98 को पुरस्कृत किया गया ।

10. छात्र दुर्घटना सामूहिक बीमा योजना ---

वर्ष 97-98 में छात्र दुर्घटना सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत 22.50 लाख रुपये बीमा विभाग को राशि उपलब्ध कराई गई है ।

(7) शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ --

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित होती है । जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के तत्वाधान में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता मानद सचिव, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़ द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जिसमें राजस्थान की स्कूल टीम भी भाग लेती है ।

43 वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य दल ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया एवं उपलब्धि हासिल की है :-

1. हॉकी, टेबल टेनिस एवं [illegible] पटियाला (पंजाब) में आयोजित हुई

.....13......

(1) तीरन्दाजी (छात्र) में दो कांस्य पदक प्राप्त किये ।

2. फुटबॉल कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) में राजस्थान दल ने भाग लिया ।

3. वॉलीबाल (छात्र-छात्रा) 19 वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता बालीर (बिहार) राजस्थान स्कूल टीम ने (छात्र) वर्ग में तृतीयस्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता ।

4. तैराकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता पणजी (गोआ) में आयोजित हुई । उसमें राजस्थान दल ने भाग लिया ।

5. फुटबाल (छात्र) 19 वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता माहलपुर (पंजाब) में आयोजित हुई उसमें भी राज्य दल ने भाग लिया ।

6. बास्केटबाल एवं हैण्डबॉल (छात्र-छात्रा) 17 वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता गोड़ा (बिहार) में आयोजित हुई उसमें भी राज्य दल ने भाग लिया

7. सी.के. नायडू क्रिकेट (छात्र) 19 वर्ष की प्रतियोगिता दिल्ली में दिसम्बर 97 में आयोजित हुई उसमें भी राज्य दल ने भाग लिया ।

8. कुश्ती, जूडो एवं कबड्डी, खो-खो (छात्र-छात्रा) एवं हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिसम्बर, 97 में दिल्ली में आयोजित हुई उसमें राज्य दलने भाग लिया एवं जूडो, कुश्ती में 4 स्वर्ण 7 रजत 10 कांस्य कुल 21 पदक प्राप्त किये ।

9. एथेलेटिक्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता गांधीनगर (गुजरात) में दिनांक 17 जनवरी 98 से 22 जनवरी 98 तक आयोजित हुई उसमें राज्य दल (छात्र-छात्रा) ने भाग लिया जिसमें 5 स्वर्ण 6 रजत, 4 कांस्य कुल 16 पदक प्राप्त किये ।

10. लॉन टेनिस, जिम्नास्टिक, टेबलटेनिस, बैडमिण्टन, बास्केटबॉल क्रमशः पुना (महाराष्ट्र) पंचकुला (हरियाणा) में राष्ट्रीय प्रतियोगितायें आयोजित हुई उसमें राज्य दल की (छात्र-छात्रा) टीमों ने भाग लिया । राज्य के चार बास्केट बाल खिलाड़ियों ने स्कूल राष्ट्रीय दल का एशियाई स्कूल मेन्स बास्केटबाल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया ।

वर्ष 97-98 में शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृत्तियों के अन्तर्गत सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, खेलकूद प्रतियोगितायें, शैक्षिक भ्रमण तुडूर कैम्प कार्यक्रम, योग शिक्षा, बालक क्रीड़ा प्रतियोगिता, स्काउटिंग गाइडिंग, एन.सी.सी. एवं राष्ट्रीय सेवा योजनायें कार्यरत हैं ।

वित्तीय वर्ष 97-98 में माध्यमिक शिक्षा को शारीरिक शिक्षा योजना में बजट प्रावधान 50.00 लाख, संशोधित प्रावधान 60.00 लाख एवं वास्तविक व्यय 16.50 लाख रुपये का किया गया ।

आडुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर का वर्ष 97-98 में वास्तविक बजट व्यय आयोजना मद में 1.85 लाख रुपये, आयोजना भिन्न मद में 66.01 लाख रुपये किया गया।

{3} आयोजना एवं प्रशासन

3.1 - योजना एवं लेखा -

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा वर्ष 97-98 में नियन्त्रित मदों के आधार पर स्वीकृत आय व्यय का विवरण इस प्रकार है:-

I - आय-व्यय {राजस्व} वर्ष 97-98

{राशि लाखों में}

मद	बजट आवंटन	अतिरिक्त आवंटन {संशोधित बजट}	वास्तविक व्यय {राशि}
1. आयोजना भिन्न	69844.98	70695.73	69721.34
प्रभृत	0.25	3.00	1.09
2. आयोजना	4970.00	4348.20	4249.38
3. केन्द्र प्रवर्तित	712.56	815.16	623.82
योग	75527.54	75859.09	74594.54
प्रभृत	0.25	3.00	1.09

II - वार्षिक योजना 1997-98 {राशि लाखों में}

मद	मूल प्रावधान	संशोधित प्रावधान	योजना व्यय
राज्य योजना			
1. माध्यमिक शिक्षा	4900.00	4300.00	4217.25
2. शारीरिक शिक्षा	50.00	[illegible].00	18.45
3. पुस्तकालय शिक्षा	20.00	1[illegible].20	13.68
योग	[illegible]970.00	4348.20	4249.38
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
माध्यमिक शिक्षा	712.56	815.16	623.82

8.2 पेन्शन स्थिरीकरण

पेन्शन प्रकरण दिसम्बर 97 के अन्त तक 5274 प्राप्त हुए जिसमें 4235 प्रकरण निपटाये गये तथा 1039 पेन्शन प्रकरण अवशेष रहे अब इन अवशेष पेन्शन प्रकरणों को अभियान चलाकर त्वरित गति से निपटारा किया जा रहा है ।

8.3 न्यायिक प्रकरण —

न्यायिक प्रकरणह हेतु वर्ष 1997 में सम्पूर्ण मण्डल स्तरों पर 4 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया । इन शिविरों के माध्यम से विधिक प्रकरणों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को विधिक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त, सूचना सम्प्रेषण के अभाव में आयी कमियों का निराकरण एवं अनुपालनाऐं सुनिश्चित करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तकनीकी विधिक जानकारी तो प्राप्त हुई ही साथ ही 332 प्रकरणों के तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त हुए । 194 प्रकरणों की अनुपालना सम्भव हुई । 1779 पत्रावलियों को बन्द करवाया । इस दौरान 69 अवमानना वादों को खारिज करवाने की कार्यवाही भी निस्पादित की गई ।

8.4 विभागीय जांच प्रकरण :-

वर्ष 97-98 में जांच प्रकरणों के निस्तारण में लम्बित प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की गई । निदेशालय में सीसीए 16 में 143 में 19 प्रकरण, सीसी 17 में 284 में 132 प्रकरण तथा प्रारम्भिक जांच के 379 प्रकरणों में से 187 का निस्तारण किया गया । कुल 45 अपील प्रकरणों मेसे 9 प्रकरण तय किये गये है । इसी प्रकार निलम्बन के 30 प्रकरणों मेसे 5 निलम्बन प्रकरण निपटाये गये ।

8.5 रिक्त पदों की पूर्ति—

रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा एकल बिन्दु भर्ती प्रणाली जारी रखी गई । सत्र 97-98 के लिए निर्धारित रिक्तयों पर नियुक्ति देने पर वित्त विभाग का प्रतिबन्ध होने के कारण राज्य सरकार द्वारा शिथिलन प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर पर प्रयास किया गया जिसके अनुसार नियुक्तियां की गई । विभाग ने डी.पी.सी. का एक समयबद्ध पंचाग बनाकर डी.पी.सी आयोजित की जिसके आधार पर पदोन्नत लोक सेवकों को पदस्थापित किया गया ।

8.6 राष्ट्रीय शिक्षक-कल्याण-प्रतिष्ठान –

वर्ष 97-98 में शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षकों के निधन पर उनके 15 आश्रितों को सहायता राशि रु 75000/- दिये गये । शिक्षकों के आश्रित अध्ययनरतों को सहायता 27 प्रकरण में कुल रु 40648/- दिये गये हैं ।

8.7 हितकारी निधि --

वर्ष 97-98 में हितकारी निधि से कर्मचारियों के निधन पर उनके 89 आश्रितों को सहायता के रूप में कुल राशि 448500/- एवं कर्मचारियों को बीमारी पर 37 प्रकरणों में राशि रु. 98000/- की सहायता प्रदान की गई ।

8.8 छात्रवृत्तियाँ --

विभाग द्वारा वर्ष 97-98 में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। (1) अनुसूचित जाति/जनजाति विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति बोर्डर एरिया के छात्रों को एवं अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (2) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (3) अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना (4) मृत राज्य कर्मचारी के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति (5) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली संस्कृत छात्रवृत्ति (6) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को दी जाने वाला राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (7) प्रतिभा विकास कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना (8) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (9) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना (10) विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना ।

छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 97-98 का बजट प्रावधान व व्यय (राशि लाख में)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	प्रावधान		व्यय	
	योजना	योजना भिन्न	योजना	योजना भिन्न
अनु. जाति	45.00	537.68	33.65	577.18
अनु. जनजाति	55.94	397.30	29.50	388.80
पिछड़ी जाति	2.00	47.00	1.50	63.67
अस्वच्छ कार्य करने वालों छात्रों के लिए	17.00	-	17.00 10.00	—
संस्थाने	—	33 [illegible]	- —	26.62

8.9 अनुदानित संस्थाऐं –

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों महाविद्यालयों एवं विशिष्ट संगठनों को शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। सत्र 1997–98 में अनुदान प्राप्त करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का विवरण निम्न है।

क्र.सं. संस्था का नाम	संस्था का प्रकार			स्वीकृत राशि (लाखों में)
	छात्र	छात्रा	योग	
1. उच्च माध्यमिक विद्यालय	91	47	138	3039.78
2. माध्यमिक विद्यालय	70	35	105	–
3. उच्च प्राथमिक	144	87	231	800.00
4. प्राथमिक विद्यालय	352	133	485	795.00
5. विशिष्ट विद्यालय	42	25	67	415.00
6. भारतीय लोककला मण्डल	01	–	01	27.00
7. छात्रावास	24	–	24	——
8. केन्द्रीय कार्यालय	23	09	32	——
9. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	03	—	03	76.00
10. पुस्तकालय	55	02	57	8.46
योग	804	338	1142	5141.24

1997–98 में निजी शिक्षण संस्थाओं में से तीन विशिष्ट विद्यालयों, तीन सीनियर माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों को नई अनुदान सूची पर लिया गया तथा सात निजी संस्थाओं को राज्याधीन लिया गया।

8.10 शिक्षक दिवस समारोह

5 सितम्बर 1997 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एवं विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। 48 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनमें से 12 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। इसी तरह निदेशालय स्तर पर 34 मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत सम्मानित किया गया।

8.11 शिक्षक सदन ---

शिक्षक सदन, बीकानेर का निर्माण कराया जा चुका है तथा मार्च 93 से उपयोग में आ रहा है । इस पर कुल 51.22 लाख रू. की राशि व्यय हुई । भारत सरकार से इस हेतु चौदह लाख का अनुदान प्राप्त हुआ व शेष राशि विभाग द्वारा झण्डियों की बिक्री से प्राप्त कर व्यय की गई ।

शिक्षक सदन जयपुर के निर्माण पर 17.80 लाख रू. की राशि व्यय हुई । भारत सरकार से इस हेतु 14 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ । शिक्षक सदन जोधपुर का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 17.00 लाख रू. की राशि व्यय हुई । भारत सरकार से इस हेतु 7.00 लाख रू. का अनुदान प्राप्त हुआ । शिक्षक सदन उदयपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसके निमार्ण पर 19 लाख रू. की राशि व्यय हुई है । भारत सरकार से इस हेतु 7.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ । अजमेर व कोटा में भी शिक्षक सदन के निमार्ण कराने का निर्णय लिया जा चुका है ।

(9) पुस्तकालय (समाज शिक्षा)-

राज्य में वर्ष 97-98 में 44 सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित है । इसमें राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय-1, मण्डल पुस्तकालय-6, जिला पुस्तकालय-28, तहसील पुस्तकालय-9 है । ये सभी पुस्तकालय समाज शिक्षा के अधीन है । वर्ष 97-98 में 2 नये पुस्तकालय अजमेर मण्डल पुस्तकालय एवं हनुमानगढ़ जिला पुस्तकालय प्रारम्भ किये गये । राज्य के तीन जिलों (जयपुर, बीकानेर, जोधपुर) में क्रमशः दस, एक व दो वाचनालय समाज शिक्षा के तहत संचालित है । इन पुस्तकालयों/वाचनालयों में सन्दर्भ ग्रन्थ, हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ तथा प्राचीन एवं दुर्लभ ग्रन्थ है ।

इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाएं व समाचार पत्र उपलब्ध है । रोजगार सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाऐं राज्य के पुस्तकालयों में उपलब्ध रहती है । वर्ष 97-98 के दौरान राज्य के पुस्तकालयों में 12 लाख पुस्तकें को 20.88 लाख पाठकों द्वारा उपयोग किया गया ।

राजाराम मोहन राय संस्थान [illegible] क्रय योजना के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में पुस्तक क्रय तहत लगभग 267 [illegible] से 3067 पुस्तकें प्राप्त हुई इनमें से पुस्तक [illegible] राजाराम मोहन राय संस्थान योजना अन्तर्गत

सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 731632/- को 154 टाईटल चयन किये जो सभी 44 पुस्तकालयों में भेजे जायेंगे । केन्द्रीय क्रय योजना के अन्तर्गत 243799/- रूपये की राशि की 157 टाईटल चयनित किये गये जिसके क्रयादेश दिये जा चुके है । केन्द्रीय पुस्तक चयन समिति ने लगभग 1.00 लाख रूपयों की 15 पत्रिकाऐं भी चयन की गई जिसके क्रयादेश दिये जा चुके है । इन्हें 550 छात्र/छात्रा माध्यमिक विद्यालय एवं नगर पुस्तकालयों में भेजा जायेगा । शिक्षा मंत्री स्वविवेक कोष से लगभग 75 हजार रूपये की पुस्तकें वर्ष 97-98 खरीदी गयी है ।

(10) शिक्षक प्रशिक्षण —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये विशेष बल दिया गया है । राज्य में कुल 44 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है जिनमें 16 महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है । इनमें 5690 प्रशिक्षणार्थियों को बी. एड शिक्षा शास्त्री विषय में सीटें आवंटित है । इसमें प्रशिक्षण अवधि एक शिक्षा सत्र होती है । साथ ही 300 अनुसूचित जाति तथा 180 अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष आवंटन व्यवस्था है जो कुल सीटों में सम्मिलित है । इस प्रकार पूरे प्रान्त में 6179 प्रशिक्षणार्थी सत्र 1997-98 में प्रशिक्षित हुए है । प्रत्येक सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है ।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राज्य में 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा 6 सी.टी.ई. संस्थाएं कार्यरत है जिसमें 120 एम.एड व 1630 बी.एड की सीटें आवंटित है । उक्त संस्थाओं में सेवारत अध्यापकों एवं नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है ।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 97-98 में 27 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा 11 और राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय कुल 46 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं संचालित रही । उक्त में 3 महिलाओं के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय है । इन सभी में 1788 छात्र एवं 1076 छात्रा कुल 2864 सीटें आवंटित है जिसमें सेवा पूर्व प्रशिक्षण दो वर्ष की अवधि का दिया जाता है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की 650 तथा अनुसूचित जनजाति [illegible] सीटें [illegible] में [illegible] है ।

(11) शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ --

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ... से पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ कार्य कर रहा है। प्रति वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की वर्ष में दो बार (मुख्य व पूरक) परीक्षाएँ आयोजित की जाती है। प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र भरने से लेकर परिणाम घोषणा एवं अंक तालिका व प्रमाण पत्र वितरण तक का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 97-98 में शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा प्रमाण पत्र, संगीत भूषण, संगीत प्रभाकर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित की गई जिसमें कुल 10199 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए इनमें 5580 छात्र एवं 4619 छात्राएँ है। वर्ष 97-98 में कुल 8910 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें 4907 छात्र एवं 4003 छात्राएँ है।

(12) विभागीय प्रकाशन --

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन अनुभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एवं शिक्षा निर्णायक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरा पत्रिका प्रकाशित कि जाती है। शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 38 वां वर्ष है। शिविरा को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी विशिष्ठ पहचान है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 65000 है।

नया शिक्षक/टीचर टुडे त्रैमासिक (हिन्दी-अंग्रेजी) पत्रिका ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बनाई है। इसकी प्रसार संख्या लगभग 12000 है।

"शिक्षक दिवस प्रकाशन" के अन्तर्गत वर्ष 1997 में प्रकाशित पांच पुस्तकों का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शिक्षक दिवस 1997 को किया गया। इन पुस्तकों के लेखक विभाग के शिक्षक व कर्मचारी ही होते है। इस श्रृंखला में अब तक 161 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

(13) शिक्षक संघों की भूमिका एवं उनका रचनात्मक सहयोग --

शिक्षकों की भूमिका तथा उनके द्वारा अपेक्षित कार्य शिक्षक संघों के संविधान में वर्णित है। उनका वास्तविक कार्य शैक्षिक उन्नयन है। भले ही अधिकार के लिए तो संघर्ष हो रहा है किन्तु कर्तव्यों के प्रति

शिक्षक संघों में अदम्य उत्साह एकजुटता एवं सृजन शक्ति है। ये सामाजिक परिवर्तन के पुनरुद्धारक बन सकते है। देश का चरित्र निमार्ण करने, भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय हो सकती है।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक अनुभाग में शिक्षक संघ, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ प्रयोगशाला सहायक संघ व अन्य संघों से सम्बन्धित पत्रों मांगों पर कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर इन संघों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री से निदेशक उनकी मांगों पर वार्ता करते है।

शिक्षक संघों में अदम्य उत्साह एकजुटता एवं सृजन शक्ति है। ये सामाजिक परिवर्तन के पुनरुद्धारक बन सकते है। देश का चरित्र निमार्ण करने, भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय हो सकती है।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक अनुभाग में शिक्षक संघ, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ प्रयोगशाला सहायक संघ व अन्य संघों से सम्बन्धित पत्रों मांगों पर कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर इन संघों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री से निदेशक उनकी मांगों पर वार्ता करते है।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित संस्थायें भी कार्यरत है

§14§ विभिन्न शैक्षिक अभिकरण —

1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर।
3. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल।जयपुर
4. माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड, अजमेर
5. संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
6. राजकीय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
7. अकादमियां।
8. भाषा विभाग, जयपुर

§15§ शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाऐं वर्ष 1997-98

सारणी- 1

राज्य में प्रबन्धानुसार शिक्षण संस्थाऐं §30. 9. 97§

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			उ०माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	2643	371	3014	981	240	1221
अनुदान प्राप्त	45	30	75	133	67	200
असहायता प्राप्त	614	46	660	154	23	177
योग	3302	447	3749	1268	330	1598

तालिका-2

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएँ (30.9.97)

शाला का प्रकार	ग्रामीण	शहरी	योग
1. माध्यमिक विद्यालय	2853	896	3749
2. माध्यमिक	811	787	1598
योग	3664	1683	5347

तालिका-3

शालावार प्रबन्धानुसार नामांकन (30.9.97)

शाला प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			सी0माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	623856	238437	862293	606340	222507	828847
सहायता प्राप्त	20238	21634	41872	104400	77041	181441
असहायता प्राप्त	202827	100050	302877	99529	50885	150414
योग	846921	360121	1207042	810269	350433	1160702

तालिका-4

शालावार प्रबन्धानुसार अनुसूचित जाति नामांकन (30.9.97)

शाला प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय में			सी. माध्यमिक विद्यालय में		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	98993	28409	127407	91535	18799	110334
सहायता प्राप्त	2778	2191	4969	7818	3879	11697
असहायता प्रा.	17966	9214	27180	6184	3864	10048
योग	119742	39814	159556	105537	26542	131079

सारणी-5

भाषा एवं प्रबन्धानुसार अनुसूचित जनजाति नामांकन (30. 9. 97)

भाषा प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय में			सो0माध्यमिक विद्यालय में		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकोष	59994	14927	74921	57912	9186	67098
सहायता प्राप्त	885	606	1491	2303	1165	3468
असहायता प्राप्त	11456	4106	15562	6225	1359	7584
योग	72335	19639	91974	66440	11710	78150

सारणी -6

कुल अध्यापक भाषा अनुसार प्रबन्धानुसार (30. 9. 97)

भाषा प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय में			सो0माध्यमिक विद्यालय में		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
राजकोष	29106	7248	36354	24759	7532	31591
सहायता प्राप्त	459	784	1243	2772	2610	5382
असहायता प्राप्त	6169	4760	10929	2569	2775	5344
योग	35734	12792	48526	29400	12917	42317

सारणी -7

भाषानुसार कुल अध्यापक, अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति अध्यापक (30. 9. 97)

विद्यालय	कुल अध्यापक			अनु. जाति			जनजाति अध्यापक		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
माध्यमिक	35734	12792	48526	4405	359	4764	1857	106	1963
सो. माध्य.	29400	12917	42317	2365	206	2571	1095	56	1151
योग	65134	25709	90843	6770	565	7335	2952	162	3114

पृ..... 24.....

सारणी-8

विद्यालयवार छात्र - अध्यापक अनुपात (वर्ष 97-98)

विद्यालय	मापदण्ड	वर्ष 97-98
माध्यमिक विद्यालय	20:1	25:1
सीनियर माध्यमिक विद्यालय	20:1	27:1

सारणी -9

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर परीक्षा परिणाम 1997-98

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1.	माध्यमिक	429789	201447	46.87
2.	सीनियर माध्यमिक	276477	147168	53.22
3.	सीनियर माध्यमिक (व्यावसायिक शिक्षा)	9985	6611	66.20

ATION CENTRE
Educational
Administration.
Aurobindo Marg,
Delhi-110016 D - 10176
No 30-06-99
NIEPA DC